बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

आदेश संख्या–02/रेगु॰–02–7003/2021– /पटना, दिनांक अगस्त, 2026

राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के व्यापक विकास, नई चीनी मिलों की स्थापना, किसानों की आय में वृद्धि तथा रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से "बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026" को मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गयी है। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा इससे संबंधित संकल्प संख्या–1231 दिनांक–25.06.2026 निर्गत किया गया है।

2. बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026 में निवेशकों द्वारा समर्पित किये जाने वाले दावों की समीक्षा हेतु परियोजना अनुश्रवण समिति (PMC) गठित की गयी है, जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या–1316 दिनांक–08.07.2026 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

विभागीय संकल्प संख्या–1231 दिनांक–25.06.2026 की कंडिका–7.3.2 के आलोक में कारखाने द्वारा व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ की तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:–

क्रमांक	पदनाम	स्थिति
I	संयुक्त निदेशक (ईख विकास), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
II	संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग	सदस्य
III	संबंधित जिला के श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग	सदस्य

3. नयी सुगर कॉम्पलेक्स (चीनी मिल/को–जेन/डिस्टीलरी/CBG) की स्थापना/कार्यरत चीनी मिलों का क्षमता विस्तार के उपरान्त समिति द्वारा निवेशकों से भविष्य में गन्ना उद्योग विभाग को अनुदान हेतु प्राप्त होने वाले दावों में कारखानों का व्यावसायिक उत्पादन की तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7003/2021– /पटना, दिनांक अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी॰डी॰ में) तथा हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

ह०/–
सचिव।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7003/2021– /पटना, दिनांक अगस्त, 2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सचिव।

कृ॰पृ॰उ॰

ज्ञापांक– 02 / रेगु॰–02–7003 / 2021– / पटना, दिनांक अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक, ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग / संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग / संबंधित जिला के श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सचिव।

ज्ञापांक– 02 / रेगु॰–02–7003 / 2021– / पटना, दिनांक अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –

सचिव।

ज्ञापांक– 02 / रेगु॰–02–7003 / 2021– / पटना, दिनांक अगस्त, 2026

प्रतिलिपि–सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सचिव।

ज्ञापांक-- 02 / रेगु॰–02–7003 / 2021– / पटना, दिनांक अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी / अध्यक्ष / सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन, पटना / सभी महाप्रबंधक, राज्य की कार्यरत चीनी मिलें को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –

सचिव।

ज्ञापांक– 02 / रेगु॰–02–7003 / 2021– 1524 / पटना, दिनांक 07 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि–~~आई॰~~ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

03/08

सचिव।

Notification(sns)ls